ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-1 * ISSUE-9*MAY-2014

मानवाधिकारों की विश्वव्यापी ऐतिहासिक व्याख्या

सारांश

मुख्य शब्द : Please Add Some Keywords

हरीश कुमार
इतिहास विभाग

भीमराव अम्बेडकर
जन्म शताब्दी महाविद्यालय,
धनसारी, अलीगढ़

प्रस्तावना

आमतौर पर मानवाधिकारों का अर्थ उन अधिकारों से लगाया जाता है जो मानव जाति के विकास के लिए मौलिक आवश्यकता है तथा जो मानव की गरिमा से संबंधित है। यह मानव जाति के समग्र विकास के लिए आवश्यक होते हैं तो ये मानवीय गरिमा के पोषण के लिए भी अनिवार्य है यह किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं और इनकी प्राप्ति में लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, रंग और प्रजाति बाधक नहीं होती है। अलग–अलग जगहों पर इन्हें मूलाधिकार, आधारभूत, अधिकार, अंतर्निहित अधिकार और नैसर्गि अधिकार भी कहा जाता है।[1]

हालांकि मानवाधिकार की कोई सर्वमान्य विश्वव्यापी परिभाषा नहीं है लेकिन विभिन्न विद्वानों और संस्थाओं ने इसे अपने–अपने तरीके से परिभाषित किया है। यहां हम मानवाधिकार की विभिन्न परिभाषाओं की चर्चा करेंगे ताकि इनके अर्थ को सम्यकता से समझा जा सके। विभिन्न राष्ट्रों ने मानवाधिकारों की परिभाषा अपनी सुविधानुसार दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित राष्ट्र मानवाधिकारों के अंतर्गत मनुष्य के मात्र राजनीतिक व नागरिक अधिकारों को ही सम्मिलित करते है जबकि साम्यवादी और इस्लामी देश मानवाधिकारों की परिभाषा, सांस्कृतिक मूल्यो के अंतर्गत देते हैं।

इन सबके विपरीत भारत और अन्य विकाशील राष्ट्रो के मानवाधिकारों के अंतर्गत राजनैतिक, सामाजिक एक ज्वलंत विषय है। जैसे–जैसे सभ्यता विकसित होती जा रही है वैसे–वैसे मानव अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक भी होता जा रहा है।[2] और इन्ही के साथ बढ़ता जा रहा है मानवाधिकारों का उल्लंघन। मानवाधिकारों को सबसे अधिक चोट आतंकवाद ने पहुंचाई है जो मानवता का सबसे बड़ा अपराधी बनकर विश्व के सामने उभरा है।

मानवाधिकार एक प्राकृतिक चीज है इसलिए इसे समझना काफी सरल है। मानवाधिकार जितने सरल है उतने ही कठिन है इसको एक परिभाषा के दायरे में बांधना असम्भव है। भारत के अधिकार शब्द को कई रूपों में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है लेकिन एक तथ्य पर लगभग सभी विद्वान सहमत हैं कि अधिकार, कुछ करने या रखने की आजादी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकार विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और विधि द्वारा संरक्षित होते हैं। सामान्य अधिकारों के बाद बात आती है विधिक अधिकारों के। यह विधिक अधिकार, किसी विशेष विधि के दायरे में आने वाले व्यक्ति को उस विधि द्वारा प्राप्त होते हैं। विधिक अधिकार, आत्यंतिक (सम्पूर्ण) नहीं होते हैं और यह विधि द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से सीमित होते हैं। इसी क्रम में अगला चरण है मूल अधिकारों का। मौलिक अधिकार वह हैं जो किसी नागरिक के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं।[3]

इन्हीं अधिकारों की अवधारणा का विकास और आगे जा कर मानवाधिकारों के रूप में हुआ। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मानवाधिकार, मानव जाति के अधिकारों की पराकाष्ठा है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानवाधिकारों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ''व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबधित वह अधिकार मानवाधिकार

कहलाते हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में उल्लिखित हैं अथवा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।'' मानवाधिकार सभी लोगों के लिए समान होते हैं। मानव समाज में प्रत्येक स्तर पर कई तरह के विभेद उपस्थित हैं। भाषा, रंग, प्रजातीय स्तर और मानसिक स्तर पर मानव–मानव के बीच में भेद किया जाता है। इन सबके बावजूद कुछ अनिवार्यताएं सभी समाजों में समान रूप से पायी जाती हैं।[4] यह अनिवार्यताएं ही मानवाधिकार हैं।

यह अधिकार मानव को इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वह मानव होता है। अधिकार शब्द का सामान्य भाषा में अर्थ है कि व्यक्ति कुछ मूलभूत तत्वों से युक्त है। मानवाधिकारों को कानूनी, सामाजिक व नैतिक तीनों रूपों में परिभाषित करने का प्रयास विद्वानों ने किया है। आर0जे0विंसेट के मुताबिक–'' मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं। मानवाधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।'' मानवाधिकार को परिभाषित करते हुए डेविड सेलाई कहते हैं कि – '' मानवाधिकार विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है।[5]

क्योंकि वह स्वयं में मानवीय हैं, वह उत्पन्न नहीं किए जा सकते, खरीदे नहीं जा सकते और यह अधिकार संविदानवादी प्रक्रियाओं से भी मुक्त होते हैं। '' इसी प्रकार ए0ए0सईद का कहना है कि – ''मानव अधिकारों का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्म सम्मान का भाव जो व्यक्ति पहचान को रेखांकित करता है तथा मानव अधिकार वास्तव में वे अधिकार है, जो मनुष्य होने के नाते व्यक्ति को प्राप्त होते है। यह अधिकार वह सामाजिक जीवन की ऐसी दशायें हैं जो व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास हेतु अपरिहार्य हैं। सामान्यतः मानवाधिकारों से तात्पर्य हैः व्यक्तियों के हितों व आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजकीय कानूनों द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावनायें, सुविधायें संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रकाशन के अनुसार मानवीय अधिकार वह अधिकार है जो हमारे स्वभाव में अन्तर्निहित है और जिनके बिना हमारा मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत करना असंभव है।[6]

''स्वाभाविक रूप से यह ऐसे अधिकार हैं जिनका उल्लंघन या अवहेलना कोई राज्य या शासन नही कर सकता। वस्तुतः मानवाधिकार राज्य या किसी अन्य शक्ति द्वारा प्रदान नहीं वरन् मानव अस्तित्व में ही अन्तर्निहित है। यह एक सर्वमान्य धारणा है कि मनुष्य पैदा होने के साथ ही अधिकारों की मॉग लेकर समाज में आता है, वह अपने अधिकारों द्वारा व्यक्तिगत व सामूहिक हितों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का प्रयास करता है।

भारत की सभ्यता एवं सांस्कृतिक पहचान लगभग पांच हजार वर्ष पुरानी है। इसमे यह खास बात यह है कि इतने लम्बे काल की विरासत हमारी परम्परा में जीवित है। मानव अधिकार के बारे में भारत में सदैव नैतिकता के व्यापक प्रसंग में विचार होता रहा है। अंग्रेजी शब्द 'राइट' से अधिक व्यापक अर्थ भारतीय हिन्दी 'अधिकार' शब्द का है। इसलिए यह कहना कि अधिकार केवल पश्चिमी अवधारणा है, संगतपूर्ण नही है। प्राचीन भारतीय सभ्यता में अधर्म की अवधारणा में ही व्यापक मानवीय सामाजिक व्यवस्था के रूप में मानव अधिकारों की चर्चा भी की गयी थी। इस अर्थ में पश्चिमी आधुनिक विचारधारा एवं प्राचीन भारतीय 'धर्म' के रूप में मानव अधिकारों की संकल्पना की गयी थी। दोनों विचारों का दृष्टिकोण अलग–अलग था। प्राचीन हिन्दू सभ्यता में मानव अधिकार संबंधी संकल्पना की जड़ें मौजूद हैं। मध्यकालीन भारत में भी मानव अधिकार किसी न किसी रूप में विद्यमान था।[7]

प्राचीन भारतीय आदर्श के तीन मुख्य बिंदु मानववाद, वसुधैव कुटुम्बकम् एवं धार्मिक सहिष्णुता भारतीय परम्परा में लगातार जारी रहा है। 'अब्दुल अजीज' जैसे इस्लामी विद्वाने के अनुसार, इस्लामी परम्परा, मानव अधिकार व्यक्तिगत गरिमा के आधार पर विकसित हुऐ हैं, जिसका लक्ष्य मानवीय समाज की रचना करना है। मुगल कालीन भारत इस संदर्भ में नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। अकबर एवं जहांगीर की न्याय प्रियता इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। अकबर ने अपने धार्मिक नीति 'दीन–ए–इलाही' के द्वारा अपनी जनता को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पठाया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एक व्यापक मानवीय आंदोलन था।

आज के भारत में मानव अधिकारों का विकास एक जटिल, संगठित प्रक्रिया के अन्तर्गत हुआ है। हमारी अपनी लम्बी परम्परा में, विविध संस्कृतियों के जीवन आदर्शों परम्पराओं एवं दर्शनों ने मिलकर एक समन्वित (मिला–जुला) मानवीय अधिकार का विकास किया है। मानवाधिकार सभ्य समाज की आधारशिला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजबूत होने के साथ–साथ इन अधिकारों को अधिक सम्मान देना अनिवार्य हो गया है। मानवाधिकारों की रक्षा इसलिए भी जरूरी है कि इनकी रक्षा से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी है। नाजी जर्मनी, फ्रांस, इटली और अनेक कम्युनिस्ट सरकारों ने व्यक्ति के अधिकार की अवहेलना की फलतः उन्हें जनता के विरोध और अन्य राष्ट्रों से युद्ध का सामना करना पड़ा और अंततः सरकारें नष्ट हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोन ने उपर्युक्त घोषणा का ड्राफ्ट तैयार किया व महासभा ने 10 दिसम्बर, 1948 को यह घोषणा की वस्तुतः मानवाधिकार रणनीति नही, व्यवस्था का विषय है।

यह मानवतावाद की सर्वोतम अभिव्यक्तित्व व उत्कृष्ट व्यावहारिकता है। मानवाधिकार की संकल्पना अत्यधिक व्यापक है। इसलिए मानवता के समक्ष जो भी समस्यायें उपस्थित है उन सभी का समाधान करना ही इस संकल्पना का लक्ष्य है। जैसा कि एन जयपालन ने लिखा भी है,'' मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रत्येक राष्ट्र या राज्य में संवैधानिक उपलब्धि एवं गारण्टी दी गयी है, लेकिन यह केवल शब्दों में सजे हैं। इन सभी को व्यवहार में लाना चाहिए।'' विकास के नाम पर मानवाधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिये। सूचना संचार द्वारा लोगों में जागरूकता लाकर मानवाधिकार के पहलू को सशक्त बनाया जा सकता है। न्यायिक सक्रियता ने भी मानवाधिकारों को संबलता प्रदान की है। अंततः मानवाधिकारों के हनन के सहिष्णुता की संस्कृति व कानून का परिपालन करने की सजगता द्वारा ही रोका जा सकता है।[8] मानवाधिकारों की रक्षा एवं मानव जाति की स्वतंत्रता का आधुनिक संवैधानिक सरकारों को विशेष ध्यान रखना चाहिऐ। वर्तमान सरकारें कोई भी आदेश जारी करने से पहले यह सोचे कि इस आदेश से मानव जाति के अधिकारों

का हनन तो नही होगा और यदि ऐसा उनके किसी आदेश से हो रहा है तो ऐसे आदेश को मानवाधिकारों की रक्षा हेतु वापिस करलें जिससे विश्व में किसी भी मनुष्य के मानवाधिकारों का हनन ना होने पाऐ तभी विश्व कल्याण की कल्पना साकार होगी।

संदर्भ ग्रन्थ

1. जार्ज एलेन व अनविनः ''ए ऑफ पोलिटिक्स''
2. आलम ऑफताब ''ह्यूमन राइट्स इन इंडियाः इशूज एण्ड चैलेन्जेज'' राज पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
3. ब्रायन, डारेन जे0ओ0, ''ह्यूमन राइट्सः एन इण्ट्रोडक्शन'' पशर्नन एजूकेशन लि0, दिल्ली,2000
4. प्रभा, के0 : ''टेररिज्म एण्ड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइटस'' बी0एस0वाधमारे कृत, '' ह्यूमन राइट्सः प्राबलम्स एण्ड स्पेक्ट्रस''2000
5. शेस्टॉक जेरोमे, जे0 ''द फिलासफिकल फाण्डेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ''जॉनस्यूज सिमान्डीज सम्पादित, ''ह्यूमन राइटसः कान्सेट्टस एण्ड स्टैण्डर्ड्स'' रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. एन0जयपालः ह्यूमन राइटस
7. मानवाधिकारों की सार्वभौतिक घोषणा, 1948
8. जे0ई0एस0फासेस्ट : द लॉ ऑफ नेशन्स